Form NO III

बअदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व टिब्बी

मिसल नं.– 52/2020

अनवान –   **औमप्रकाश**   **बनाम**   **बद्रीराम**

किस्म मुकदमाः–212 आरटीए

उपस्थितः–श्री बनवारीलाल गौड़ एडवोकेट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
05.11.2020	प्रार्थी की ओर से श्री बनवारी लाल गौड़ एडवोकेट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र,एक पक्षीय बहस अधिवक्ता प्रार्थी के आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया अपूर्णीय क्षति का प्रतीत होता है। अतः चक 3 टी.एल.डब्ल्यू के खाता संख्या 157/147 में अप्रार्थी के नाम से दर्ज आराजी में अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय की जारी की जाती है कि आगामी तारीख पेशी तक वादगत आराजी को रहन, बैय न करें। इस सबंध में अप्रार्थी को किसी प्रकार का कोई उज्र एवं ऐतराज हो तो न्यायालय में असालतन एवं वकालतन दिनांक 04.12.2020 को उपस्थित आकर वजह जाहिर करें अन्यथा क्यों ना ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा कर्न्फम कर दी जावे। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी की तलबी रजिस्टर्ड एडी से करवाकर रसीदें न्यायालय में 03 दिवस में पेश करें, अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। पत्रावली दिनांक 04.12.2020 को बाद तामिल पेश हो। [signature]	
4.12.20	वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थी सं० 1 की ओर से श्री अब्दुल सत्तार Ad. ने वकालतनामा पेश किया पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 30-12-20 को पेश हो। T.I. आगामी तारीख तक बढ़ाया जाकर पत्रावली 30-12.20 को पेश हो। [signature]	
30.12.20	वकील उभयपक्ष उपस्थित उपखण्ड अधिकारी महोदय अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7-1-21 को पेश है। [signature]	
7.1.21	उभय पक्ष उप० वकील प्रार्थी ने निवेदन किया की प्रा० पत्र चलाना नहीं चाहते प्रा० पत्र का अवलोकन किया जाता है। प्रा० पत्र में जारी T.I. दिनांक 5-11-20 व प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	प्रार्थी प्रार्थना पत्र [illegible] कार्यवाही नहीं चाहता है। ओमप्रकाश [signature] 7.1.21